

भारत सरकार सेवार्थ

ON INDIA GOVERNMENT SERVICE

No. 5/4/2015-1611



10. Shri: Neeraj K. Gupta
main market Baghwa
police station Baghwa
dist - Singrauli
Madhya Pradesh

कारपोरेट काय मालवा

शारनी भवन, नई दिल्ली-110001

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
SHASTRI BHAWAN, NEW DELHI-110001

File No.5/4/2015-IGM
Ministry of Corporate Affairs
Government of India

R.No.509A, Shastri Bhawan,
Rajendra Prasad Road,
New Delhi-110001.
Dated 7 March, 2016

To

✓ Shri Neeraj Kumar Gupta,
Main Market Bargawa,
Police Station Bargawa,
District Singrouli, MP.

Subject : Public grievance petition.

FTS No.602/2016.

Sir,

This has reference to your Grievance Petition dated 1/1/2016 addressed to Ministry of Corporate Affairs against the above cited entity.

2. In this regard, it is stated that it is a general nature complaint. Complaint regarding employment in a Company does not come under the ambit of this Ministry. Ministry of Corporate Affairs deals with complaint against the company registered under the provisions of companies Act 1956/2013 and violations under the such Act and rules made there under and accordingly the complaint is returned back to you to approach appropriate authority.

Yours faithfully

Spadma
07/03/16
(S. Padma Roy)
Section Officer

Copy to:- Under Secretay, Coord.-II, M/o Home Affairs, North Block, New Delhi for information. (wrt complaint forwarded vide OM no.20011/03/2015-Coord.-II dated 1/1/2016)

FTS(R) NO-602/2016

सं0 20011/3/2015/समन्वय-2

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली, दिनांक :

कार्यालय जापन

01 JAN 2016

विषय: लोक शिकायत याचिका।

मुझे उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री नीरज कुमार गुप्ता ने उपर्युक्त विषय पर दिनांक 17.08.2015 को इस मंत्रालय में एक लोक शिकायत याचिका प्रस्तुत की है। लोक शिकायत याचिका, पत्र के साथ मूलरूप में संलग्न है।

2. अतः आपसे अनुरोध है कि इस याचिका पर उचित कार्यवाही की जाए एवं याचिकाकर्ता को उपर्युक्त उत्तर भेज दिया जाए तथा आपके द्वारा की गई कार्यवाही से इस मंत्रालय को भी सूचित किया जाए।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

13/JS(K)
06/01/16

रेस्ट्रेट
(रेनू सूरी)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

✓ कारपोरेट कार्य मंत्रालय,
श्री के.वी.आर. मुर्ति, संयुक्त सचिव,
कमरा नं.-504, ए विंग,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

152/DD(MIC)
08/01/16

के.वी.आर.
06/1

मुर्ति (P.Y.P.)
902

Sohail 8/1/16

general nature complaint.
complaint reg. employment in
a co. does not come under the
ambition of this Ministry. MCA
deals with compl. against the co.
regd. under the provisions of es. Act
1956/2013 and rules made there
under.

Am
8/1/16

SD (DCCM)

11/01/16 8th Seven
Return

बिषय-विप्रो कम्पनी के द्वारा एक विकलांग व्यक्ति के साथ देश के तमाम बेकसुर बेरोजगार नैजवानों के भविष्य के साथ खेला जा रहा एक गंदा और भद्दा मजाक किया जा रहा है। जिससे विप्रो कम्पनी के द्वारा भारत के तमाम बेकसुर बेरोजगार नैजवानों की भविष्य को खराब किया जा रहा है।

बिनम्र निवेदन :- महोदय सबिनय बिनम्र निवेदन हैं, कि जहाँ एक ओर हमारें भारत में बेरोजगारी व्याप्त हैं वहीं दुसरी ओर विप्रो कम्पनी के द्वारा भारत के समस्त बेकसुर बेरोजगारों को पहले सुरक्षा निधि के रूप में कुछ पैसे लेकर आफर लेटर दीया जाता है और उसे भ्रमीत किया जाता है। जिससे बेरोजगारों द्वारा उक्त फर्जी कम्पनी को सिक्योरिटी मनीं के रूप में कुछ और पैसे दिलवा सके। और जिस नैजवानों ने ऐसा नहीं किया तो उसे यह कह कर भगा दिया जाता है, कि सारी प्रक्रिया गलत हैं और फेकर के द्वारा दिया गया बताया जाता है। जिसमें मैं भी एक हूँ। पर जब मेरे द्वारा कम्पनी से सारी प्रक्रिया गलत होने का प्रमाण मांगा, तो कम्पनी ने दिनांक 18/06/2014 को दिल्ली में मुझ पर हमला करवाना चाहा, पर समय रहते मैंने खतरा भौप कर दिल्ली से भाग कर अपने घर आ गया। और इस तरह मेरी जान बच सकी, और हमेंशा डर लगा रहता है कि मेरे साथ कम्पनी कोई अनहोनी न हो जाय इसलिए नौकरी के लिए घर से बाहर नहीं जा पा रहा हूँ और न्याय के लिये दर-दर भटकता रहता हूँ। पर कहीं न्याय नहीं मिल रही हैं। वहीं कम्पनी के कम्पलेन बोर्ड से एक फेसबुक की साईट (<https://www.facebook.com/pages/Report-Indian-Frauds-and-prevention/548188838583090?ref=ts>) प्राप्त हुआ था, जिसमें बताया गया था की :-

- आलोक कुमार संधिल्या, धनबाद/कोलकत्ता (200-700 बेकसुर नैजवानों कि भविष्य खराब की हैं)
- मृदुल घोष, कोलकत्ता/दिल्ली/पुने/मुम्बई (6000 बेकसुर नैजवानों कि भविष्य खराब की हैं)
- मनोज कुमार, धनबाद/कोलकत्ता (नहीं पकड़े गये हैं)
- आशीष चन्द्र, धनबाद/कोलकत्ता (नहीं पकड़े गये हैं)

और बताया गया की इस तरह का वाक्या सन् 2006 से निरंतर किया जा रहा है। जहाँ मेरे द्वारा कम्पनी से ऐ जानकारी मांगी की इस समुह मे कितने लोग हैं? और कौन से लोग कितने नैजवानों कि भविष्य खराब की हैं? जिससे कम्पनी प्रबंधन को खामोंगी छा गई है। और इस मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। जिससे प्रार्थी डर-डर जिने को मजबुर हूँ। मनोज बॉस्ट एन्काउंटर मामले में दिल्ली पुलिस के दोगरे रवैये से अवगत कराने की कोशिश की हैं।

श्री मान जी से निवेदन है; की प्रार्थी के साथ हुये धोखाधड़ी की उच्च स्तरीय जांच करवायी जाय जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और दर-दर की ठोकरें खा रहे मुझ बेकसुर विकलांग को हमारा अधिकार मिल सके। या इच्छामृत्यु करने की इजाजत दिया जाए।

महोदय

सबिनय बिनम्र निवेदन हैं, कि मध्य प्रदेश राज्य के सिंगरौली जिला के बरगवां का एक विकलांग व्यक्ति निरज गुप्ता पिता श्री मुन्नीलाल गुप्ता जो कि पैर से जन्मजात विकलांग है उक्त व्यक्ति किसी प्रकार से अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था कर अपना जीवन यापन कर रहा था। उक्त व्यक्ति घर की माली हालत की स्थिती में स्नातक तथा आई०ए०सी०एम० संस्थान बैठन से कम्प्यूटर हार्डवियर नेंटवर्किंग का कोर्स किया एवं नेंटवर्किंग करने के बाद दिल्ली के ए०एन०जी०कम्पनी में सिक्योरिटी सिस्टम लगाने का काम मिल गया बतौर निरज गुप्ता उक्त कार्य को बड़े ही ईमानदारी व मेंहनत से करता रहा। और मात्र निरज गुप्ता ही नहीं हर नौकरी तलास करने वाले की इच्छा होती है कि वह एक मल्टीनेशनल कम्पनी में एक कर्मचारी बनने की चाह होती

४५६
४५७ (contd - १)

M/s Corporate Report
16/9/2015
gaurav

N. K. Gupta
17/08/15

क्र. सं. 582693
C.R. No.
से. अ. अनुसन्धान नीति विभाग / C.R. Section

19 AUG 2015

११